



कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, पोखरैरा, मुजफ्फरपुर पिन-843106



हरि शंकर यादव
प्र०प्राचार्य

Website :- www.ptecpokhrai.co.in
E-mail :- ptec.pokhrai@gmail.com

—: कार्यालय आदेश :—

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञप्ति संख्या-पी०आर०-249/2022 के आलोक में संस्थान के सत्र 2022-24 में रिक्त सीटों पर Spot नामांकन हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों से दिनांक 28.12.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक कार्यालय अवधि में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं—

1. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर समिति के पोर्टल पर CAF (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाईन जमा किया है, किन्तु उनका चयन किसी चयन सूची में नहीं हुआ है अथवा
2. वैसे अभ्यर्थी जो समिति द्वारा निर्गत प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चयन सूची में संस्थान आवंटित होने के पश्चात् भी नामांकन नहीं लिया है।

समिति द्वारा निर्गत प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चयन सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालय में नामांकन ले चुके अभ्यर्थी Spot नामांकन हेतु आवेदन के पात्र नहीं हैं।

उपरोक्त अर्हता वाले इच्छुक अभ्यर्थी सदेह उपस्थित होकर दिनांक 28.12.2022 से निांक 31.12.2022 तक कार्यालय अवधि में विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित अनुलग्नकों यथा— Spot Admission Intimation letter, CAF (Common Application Form) स्कोर कार्ड, मैट्रिक/इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति) एवं आरक्षण कोटि का प्रमाण-पत्र (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति) जमा कर आवेदन की प्राप्ति रसीद लेना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप संस्थान के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.ptecpokhrai.co.in पर उपलब्ध है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पोर्टल पर प्रदर्शित सूची के अनुसार रिक्त सीटों की विवरणी निम्नवत् है—

संकाय	UR	BC	EBC	WBC	EWS	SC	ST	Total
विज्ञान	08	03	05	0	02	04	0	22
कला/वाणिज्य	02	01	01	02	02	01	0	09

उपरोक्त रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन, औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन, चयनित सूची का प्रकाशन एवं चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के विज्ञप्ति संख्या- पी०आर०-249/2022 में अंकित कार्यक्रम एवं समय-तालिका के अनुसार ही किया जायेगा।

चयन उपरांत अभ्यर्थी का नामांकन संबंधित के CAF (Common Application Form) में अंकित तथ्यों एवं मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही किया जायेगा। अभ्यर्थी के CAF (Common Application Form) में अंकित तथ्यों एवं मूल प्रमाण पत्रों में अंकित तथ्यों यथा संकाय, कोटि आदि में अंतर पाये जाने पर नामांकन से वंचित होने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

गलत तथ्यों एवं प्रमाण-पत्रों के आधार पर आवेदन एवं नामांकन की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कारवाई की बाध्यता होगी।

for
27.12.22
प्र०प्राचार्य,

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,

पोखरैरा, मुजफ्फरपुर।